रजिस्ट्री सं० डी एल (एन) 04/0007/2003—05

REGD. No. DL (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 4—जनवरी 10, 2004, शनिवार/पौष 14—पौष 20, 1925
No. 2] NEW DELHI, JANUARY 4—JANUARY 10, 2004, SATURDAY/PAUSA 14—PAUSA 20, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(डाक विभाग)
(डाक लेखा विंग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2003

सा. का. नि. 8.—राष्ट्रपति एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक विभाग के सर्किल डाक लेखा कार्यालयों में आशुलिपिक ग्रेड-I के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सर्किल डाक लेखा कार्यालय, आशुलिपिक ग्रेड-I ग्रुप 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियमावली, 2003 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान.**—इन पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और इनका वेतनमान वह होगा जो संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं आदि.**—इन पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **कार्यक्षेत्र एवं नियुक्ति प्राधिकारी :**—आशुलिपिक (ग्रेड-I) सर्किल संवर्ग का है तथा सर्किल के अंदर ही कहीं पर भी उन्हें स्थानान्तरित किया जा सकता है। सर्किल अध्यक्ष इस पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।

5. **अनर्हताएं.**—वह व्यक्ति, —

(1) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह का वचन दिया है, या

(2) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का करार किया है,

उपर्युक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्र सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **नियम शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	आशुलिपिक ग्रेड-I
2. पदों की संख्या	:	09* (2003) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप "ख" (अराजपत्रित) लिपिकीय
4. वेतनमान	:	5500-175-9000 रु.
5. प्रवरण पद है या अप्रवरण पद	:	प्रवरण
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	लागू नहीं
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	लागू नहीं
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नत व्यक्तियों के मामले की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	लागू नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि	:	दो वर्ष
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	पदोन्नति द्वारा
12. पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	:	**प्रोन्नति** : ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ 5000-8000/- रु. के वेतनमान में आशुलिपिक ग्रेड-II **नोट** : जहां भी ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों जिन्होंने अपनी अर्हक या योग्यता सेवा पूरी कर ली है, तथा पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों को भी पदोन्नत करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके पास वैसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष की अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, इनमें से जो भी कम हो, से कम की सेवा न हो तथा उन्होंने अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों जो पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति पाने के लिए अपेक्षित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो इसका संघटन क्या है	:	ग्रुप "ख" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार किए जाने हेतु) :—
		1. निदेशक/उप निदेशक (यदि संबंधित डाक लेखा कार्यालय अध्यक्ष उप निदेशक है) —अध्यक्ष
		2. सहायक मुख्य लेखा अधिकारी —सदस्य
		3. ग्रुप 'क' का एक अधिकारी डाक सर्किल द्वारा सहयोजित —सदस्य
14. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की जरूरत है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 1(2)/2001/पीए-प्रशासन-I]

एस. सी. अग्रवाल, सहायक महानिदेशक (पी.ए.-प्रशासन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

(Postal Accounts Wing)

New Delhi, the 15th September, 2003

G.S.R. 8.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I, in the Circle Postal Accounts Offices of the Department of Posts, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Circle Postal Accounts Offices, Stenographer Grade-I, Group 'B' (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, educational and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, educational and other qualifications and other matters related thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of schedule aforesaid.

4. **Sphere of duty and appointing authority.**—The Stenographer (Grade I) shall constitute the circle cadre and their transfer liability will be limited within the circle. The appointing authority for the post shall be the Head of the Circle.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of post	:	Stenographer Grade I
2. Number of posts	:	9* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	:	General Central Service, Group 'B', (Non-Gazetted) Ministerial

4. Scale of pay	:	Rs. 5500-175-9000
5. Whether selection or non-selection post	:	Selection
6. Age limit for direct recruits	:	Not applicable
7. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	Not applicable
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	:	Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	Not applicable
10. Period of probation	:	Two years
11. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods	:	Promotion
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made	:	**Promotion :** Stenographer Grade-II in the pay scale of Rs. 5000-8000 with three years regular service in the grade. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	:	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotions) :—** 1. Director/Deputy Director (if Deputy Director is the head of the concerned Postal Accounts Office) —Chairman 2. Assistant Chief Accounts Officer —Member 3. One Group 'A' Officer co-opted from the Postal Circle —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	:	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No. 1(2)/2001/PA-Admn.I]
S.C. AGRAWAL, Asstt. Director General (PA-Admn.)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2003

सा. का. नि. 9.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, में सफाई सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, सफाई सहायक श्रेणी 'ग' भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1.	पद का नाम	: सफाई सहायक
2.	पदों की संख्या	: 5* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग", अराजपत्रित अननुसचिवीय
4.	वेतनमान	: 2750-70-3800-75-4000 रुपए
5.	चयन अथवा अचयन पद	: अचयन
6.	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: नहीं
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: लागू नहीं होता
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	: लागू नहीं होता
9.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	: लागू नहीं होता।
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: दो वर्ष
11.	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों की प्रतिशतता	: प्रोन्नति द्वारा
12.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	: ऐसा ज्येष्ठ सफाई वाला, जिसने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की हो, से प्रोन्नति।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	:	निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) :—
		1. संकाय अध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक —अध्यक्ष
		2. संबंधित विभागाध्यक्ष —सदस्य
		3. उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य
		4. कार्यालय का प्रधान —सदस्य
		5. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से कोई अधिकारी —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	:	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/9/97-आर.आर./एम.ई-IV]

महाबीर प्रशाद, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th December, 2003

G.S.R. 9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sanitary Assistant in the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, Sanitary Assistant Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the post	:	**Sanitary Assistant**
2. Number of posts	:	*5 (Five) (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	:	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4. Scale of pay	:	Rs. 2750-70-3800-75-4400/-
5. Whether selection post or non-selection post	:	Non-selection

6. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	No
7. Age limit for direct recruits	:	Not applicable
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	:	Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	Not applicable.
10. Period of probation, if any	:	Two years
11. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	:	By promotion
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	:	Promotion from Senior Safaiwala with four years regular service in the grade.
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	:	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Dean/Medical Superintendent —Chairman 2. Head of the Department concerned —Member 3. Deputy Director (Administration) —Member 4. Head of Officer —Member 5. An Officer from other Central Government Department —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	:	Not applicable

[F. No. A-12018/9/97-RR/ME-IV]

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2003

सा. का. नि. 10.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध आर्थोप्टिशीयन पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, आर्थोप्टिशीयन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (आर्थोप्टिशीयन) (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1.	पद का नाम	: आर्थोप्टिशीयन
2.	पदों की संख्या	: 1(एक)* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग", अराजपत्रित अननुसचिवीय
4.	वेतनमान	: 4500-125-7000 रुपए
5.	चयन अथवा अचयन पद	: लागू नहीं होता।
6.	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: नहीं
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: 18 से 25 वर्ष के मध्य (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	: **आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 + 2 या समतुल्य अर्हता। (ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से आर्थोपेटिक (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा। (iii) ख्याति प्राप्त अस्पताल/संस्थान से वृत्तिक में 2 (दो) वर्ष का अनुभव। **टिप्पण:**—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है(हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
9.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	: नहीं

10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	सीधी भर्ती **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्ति केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर के आधार पर भरी जा सकेंगी; (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद; या (ii) 4000-100-6000 रुपए के वेतनमान में पद पर 5 वर्ष नियमित सेवा; या (ख) जिनके पास स्तंभ 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	लागू नहीं होता
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	:	**विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के विचार के लिए) मिलकर बनेगी :—** 1. उप प्राचार्य/अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय और श्रीमती एस. के. अस्पताल —अध्यक्ष 2. विभागाध्यक्ष, नेत्र विज्ञान विभाग, लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय और श्रीमती एस. के. अस्पताल —सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय और श्रीमती एस. के. अस्पताल —सदस्य 4. अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सहयोजित आफिसर —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	:	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-11018/6/2002-आर.आर./एम.ई-IV]

महा बीर प्रशाद, अवर सचिव

टिप्पण : मुख्य नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 25-7-1981 को संख्या सा. का. नि. सं. 689 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 31st December, 2003

G.S.R. 10.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Orthoptician except as respect to things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Orthoptician namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital (Orthoptician) (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the post	:	Orthoptician
2. Number of posts	:	1 (One)* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	:	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4. Scale of pay	:	Rs. 4500-125-7000.
5. Whether Selection Post or Non-selection post	:	Not applicable.
6. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	No
7. Age limit for direct recruits		Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Union Territory of Lakshadweep). **Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
8. Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	**Essential :** (i) 10+2 or its equivalent qualification from a recognised Board. (ii) Diploma in Orthoptics (Two year course) from an Institution recognized by All India Council of Technical Education. (iii) 2 (Two) years experience in the profession in a Hospital/ Institute of repute. **Note :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	No
10. Period of probation	:	Two years.
11. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	:	Direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government holding. (a) (i) analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the pay scale of Rs. 4000-100-6000; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed in Column 8.
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made	:	Not applicable
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	:	**Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :–** 1. Vice Principal/Addl. Medical Superintendent, Lady Harding Medical College & Smt. S. K. Hospital, —Chairman 2. Head of Department of Ophthalmology, Lady Harding Medical College & Smt. S. K. Hospital, —Member 3. Deputy Director (Administration), Lady Harding Medical College & Smt. S. K. Hospital, —Member 4. A co-opted officer to represent SC/ST —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	:	Not applicable

[F. No. A-11018/6/2002-RR/ME-IV]

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

Foot Note :—(The Principal rules were published in Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-sec. (i) vide G.S.R. No. 689 dated 25-7-1981.)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2003

सा.का.नि. 11.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) ज्येष्ठ प्रणाली विश्लेषक और कार्यक्रम भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) ज्येष्ठ प्रणाली विश्लेषक और कार्यक्रम (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) ज्येष्ठ प्रणाली विश्लेषक और कार्यक्रम (संशोधन) नियम, 2001 की अनुसूची में, स्तंभ 14 में कार्यक्रम, के पद के सामने "राज्य सरकार के कर्मचारियों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से अंतर्वलित सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पर भर्ती करते समय" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सीधी भर्ती करते समय"

[सं. ए-12011/1/98-ई-I]

बी. एम. सद्दी, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 523 के अधीन् तारीख 22-9-2001 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Secondary and Higher Education)

New Delhi, the 3rd July, 2003

G.S.R. 11.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary and Higher Education) Senior Systems Analyst and Programmer Recruitment Rules, 2001, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary and Higher Education) Senior Systems Analyst and Programmer (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary and Higher Education) Senior Systems Analyst and Programmer (Amendment) Recruitment Rules, 2001, against the post of Programmer in column 14, for the words "while making Direct Recruitment/Recruitment on deputation basis involving State Government employees or employees of Public Sector Undertakings", the following shall be substituted, namely :—

"while making direct recruitment."

[No. A-12011/1/98-E.-I]

B.M. SADDI, Under Secy.

Foot note : Principal rules published in the Gazette of India, dated 22-9-2001 under G.S.R. No. 523.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2003

सा. का. नि. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग (जल स्कंध) तृतीय श्रेणी (स्टोर कीपर) पद भर्ती नियम, 1970 को, जहां तक उनका संबंध स्टोर कीपर पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय जल आयोग के अधीनस्थ कार्यालय में स्टोर कीपर पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल आयोग के अधीनस्थ कार्यालय में (स्टोर कीपर) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	स्टोर कीपर
2. पदों की संख्या	:	8* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''ग'', अराजपत्रित अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	4000-100-6000 रुपए
5. चयन अथवा अचयन पद	:	लागू नहीं होता।
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	लागू नहीं होता
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	18 से 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कतिपय अन्य श्रेणियों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं। **टिप्पण 2 :** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी अन्य आयु सीमा में शिथिलता के साथ सामूहिक रूप से छूट दी जाएगी। **टिप्पण 3 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (ii) स्टोर और स्टोरलेखों का तीन वर्ष का अनुभव रखता है। **टिप्पण 1 :**—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :**—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	लागू नहीं होता
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	2 वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों की प्रतिशतता	:	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	**प्रोन्नति/आमेलन :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है; या (ii) मूल काडर/विभाग में 3050-4590 रुपए या समतुल्य वेतनमान के पद में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और शैक्षिक अर्हता रखता है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	:	**विभागीय प्रोन्नति समिति "ग" (अननुसचिवीय) पुष्टि के विचार के लिए होंगे :—** (1) सचिव/निदेशक (प्रशासन)/निदेशक (स्थापना), केन्द्रीय जल आयोग —अध्यक्ष (2) किसी तकनीकी निदेशालय का निदेशक/उपनिदेशक, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य (3) अवर सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य (4) अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	:	लागू नहीं होता।

[सं. 32/2003 फा. सं. 35/5/2002-स्था.-I]

अशोक झा, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 16th December, 2003

G.S.R. 12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Central Water and Power Commission (Water Wing) Class-III (Store Keeper) Posts Recruitment Rules, 1970, in so far as they relate to the post of Store Keeper, except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Store Keeper in the Subordinate offices of the Central Water Commission, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Central Water Commission, Subordinate Offices (Storekeeper) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of post	:	Store Keeper
2.	Number of posts	:	8*(2003) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	:	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4.	Scale of pay	:	Rs. 4000-100-6000
5.	Whether Selection or Non-selection post	:	Not applicable.
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	Not applicable
7.	Age limit for direct recruits	:	18-27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years) **Note 1 :** Relaxable for the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes/ the Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Government from time to time. **Note 2 :** Relaxable cumulatively with any other age relaxation for the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes/the Other Backward Classes. **Note 3 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In respect of posts, the appointments to which are made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, in each case be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	**Essential :** (i) Matriculation or equivalent from a recognised Board/ University;

		(ii) Three years experience of holding stores and store accounts. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	Not applicable
10. Period of probation, if any	:	Two years for direct recruits.
11. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	:	Deputation/absorption failing which by direct recruitment.
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made	:	**Deputation/Absorption :** Officers under the Central Government or State Government ; (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with eight years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 3050-4590 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column number 8. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications.)
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	:	**Departmental Promotion Committee Group 'C' (Non-ministerial) for considering confirmation consisting of :–** (1) Secretary/Director (Administration)/ Director (Establishment), Central Water Commission —Chairman (2) Director/Deputy Director of any Technical Directorate, Central Water Commission —Member (3) Under Secretary, Central Electricity Authority —Member (4) Under Secretary, Central Water Commission —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	:	Not applicable

[No. 32/2003 F. No. 35/5/2002-Estt. I]
ASHOK JHA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.